भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 1115

16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तरार्थ

**विषय: कीट/कीड़ों के ारण भ्‍ंण्‍डार किए गए खाद्यान्‍नों की बर्बादी**

1115: श्री पंकज बोरा:

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या सरकार को यह जानकारी है कि भंडार किए गए अनाज की बड़ी मात्रा में कई तरह के कीट लग जाते है;

(ख) क्‍या यह सच है कि भंडार किए गए अनजों की कीटनाशकों अथवा धूमकों का इस्‍तेमाल मानव के लिए अधिक खतरनाक होता है;

(ग) यदि हां, तो क्‍या सरकार बर्बादी रोकने के लिए भंडार किए गए अनाजों से कीटों/कीड़ो को हटाने के लिए तरीकों का विकास करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

 **उत्‍तर**

 **कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

1. **एवं (ख):** भण्‍डारण के दौरान केन्‍द्री पूल के तहत खाद्यान्‍न भण्‍डारित अनाज कीट, नाशीजीव से संक्रमित हो सकते हैं हालांकि संक्रमण की किसी भी सम्‍भावना से बचने के लिए स्‍टॉक कब के रोग-निरोधक उपचार के माध्‍यम से निवारक उपाय किए जाते है । संक्रमण के मामले में इसे नियंत्रित करने के त्‍वरित उपाय किए जाते हैं । खाद्यान्‍नों के रोग-निरोधक एवं उपचारात्‍मक उपचारों के लिए केवल अनुमोदित रसायनों एवं धूमन का उपयोग िकया जाता है और इन रसायनों को सभी सापवधानियों को ध्‍यान में रखने के पश्‍चात विनिर्धारित मात्रा के अनुसार उपयोग किया जाता है ताकि मानवों पर इसका कोई विपरीत प्रभाव ना हो यह सुनिश्‍चित किया जा सके ।

 पंजीकरण समिति देश में उपयोग के लिए धूमन सहित नाशीजीवमारों को उनकी सुरक्षाएवं क्षमता के मूल्‍यांकन के पश्‍चातही पंजीकृत करती है । यदि नाशीजीवमारों अथवा धूमको को अनुमोदित लेबल दावों के अनुसार उपयोग किया जाता है तो उनसे मानव जीव पशुधन एवं उससे संबंधित मामलों में कोई खतरा उत्‍पन्‍न नहीं करते है ।

**(ग) से (ड.) :** कीट, नाशीजीवों के कारण नुकसान को रोकने के लिए खाद्यान्‍नों के सुरक्षित भण्‍डारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति संहिता है । भण्‍डारित अनाज कीट, नाशीजीवोंके नियंत्रण के लिए संस्‍तुत मात्रा के साथ अनुमोदित नाशीजीवमारों प्रशिक्षित व्‍यक्‍तियों द्वारा उपयोग किया जाता है । खाद्यान्‍नों के साथ कीटनाशिरयों/नाशीजीवमारों को सीधे मिला देना अनुमत नहीं है । खाद्यान्‍नों की गुणवत्‍ताकी जांच एवं त्‍वरित उपचारात्‍मक उपाय करने के लिए संबंधित स्‍टाफ द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं ।

 ----